

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्याक्रम/ 9963-69

/2015-16

दिनांक - 09/02/16

प्रबन्धक,

ब्लूमिंग बड़स पर्लिक स्कूल  
रटेशन रोड, मेला बाग  
नोक्सो शिक्षोहाबाद

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन  
के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के  
उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय को तीन वर्ष की अधि के लिये दिनांक 30.06.2016 तक आपके विद्यालय को अध्याई मान्यता प्रदान की गई थी। निरीक्षक अधिकारी की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय को समस्त मानकों के अनुरूप पाया गया। आपके विद्यालय के द्वारा समस्त मानक पूर्ण करने के फलस्वरूप, मैं ब्लूमिंग बड़स पर्लिक स्कूल, रटेशन रोड, मेला बाग, नगर क्षेत्र शिक्षोहाबाद को तारीख 01-07-2015 से कक्षा नवीनी से कक्षा 05 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम से दी गई अंतिम मान्यता को अंतिम मान्यता प्रदान करने की संमुचिना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है—

1. मान्यता की मंजूरी वित्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करता।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नवीनी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधावहीन समुदायों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध सुनिश्चित करेगा।
4. ऐसा तीन में निर्विट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपबन्ध (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृष्ठक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपेटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संस्करक को किसी स्ट्रॉन्गिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का समतु न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रेषण दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा :

9/16

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उन्नेत लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक्रम 11109 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्रावर के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रत्युत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निवेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संकारण / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

9/16  
(बालमुकुन्द प्रसाद)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
फिरोजाबाद।

पूर्णसं/मान्यता/

/2015-16

दिनांक -

प्रतिलिपि — निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. शिक्षा निवेशक (बिश) उम्र 10 लाखन को सादर सूचनार्थी।
02. अपर शिक्षा निवेशक, शिक्षा निवेशकालय उम्र 10 इलाहाबाद।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निवेशक (बिश) आगरा।
04. समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
05. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
06. सम्बन्धित खाड़ शिक्षा अधिकारी।
07. कार्यालय गार्ड पत्रावरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
फिरोजाबाद।